आदेश - पत्रक

315/5 13-14

अनुसूचित 14-फारम न० 562

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक .... ता० .... से .... तक ....

जिला .... से .... 200 ....

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

श्री मती वीणा कुमारी सिन्हा/
W/o स्व० अरविन्द कुमार सिंह
सा० करनपुरा थाना गोपालपुर जिला पटना)
अन्य पता महल्ला- मारुफी प्रसाद लेन थाना- खाजेकलां जिला पटना
के वाला नं० 1979 दिनांक 20/03/2013

के आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा का नाम	तौजी न०	खाता नं०	खसरा	एराजी
पहाड़ी थाना नं. 14	-	60	1263	क० धुर 01-12½ (एक कट्ठा साढ़े बारह धुर) लगान 1.00

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अभिलेख दिनांक 17/5/13 को उपस्थित करें। MS

MS

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज ________ किया जाता है शुद्धि पत्र निर्गत करें। [illegible] किया।

MS

MS

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible]
[illegible] बिहार [illegible]